

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
कार्यालय मंडलायुक्त (राजस्व)
संसदीय शाखा,
5, शाम नाथ मार्ग, दिल्ली।

अतारांकित प्रश्न संख्या : 84

राजस्व विभाग

दिनांक 22.08.2019

प्रश्नकर्त्ता का नाम : माननीय विधायक सुश्री भावना गौड़ जी

क्या माननीय राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्र.सं.	प्रश्न	उत्तर
क)	क्या यह सत्य है कि पालम विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले अनधिकृत कालोनी महावीर इंकलेव व मधु विहार वार्ड में राजस्व विभाग द्वारा मकानों की रजिस्ट्रियाँ की जा रही हैं;	मकान सम्पत्तियों की रजिस्ट्रियाँ पंजीकरण अधिनियम के अनुसार की जाती हैं।
ख)	यदि हाँ, तो रजिस्ट्रियाँ किस आधार पर हो रही हैं;	उपरोक्त
ग)	क्या पालम विधान सभा क्षेत्र में राजस्व विभाग की जमीन है;	पालम विधान सभा क्षेत्र में आने वाले चारों गांव पालम, नसीरपुर, मिर्जापुर और डाबरी की गांव सभा की जमीन Section 507 of DMC Act 1957, Notification के पश्चात् शहरीकृत हो चुके हैं तथा Section 22(1) of DDA, ACT 1957, Notification Dated 19.08.2002 के तहत इन गांवों की ग्रामसभा की सारी जमीन DDA के अधीन हो चुकी है। अतः राजस्व विभाग के अधीन कोई ग्रामसभा भूमि नहीं है।
घ)	यदि हाँ, तो उन जमीनों के खसरा संख्या सहित पूर्ण विवरण दें;	उपरोक्तानुसार लागू नहीं।
ङ)	क्या यह सत्य यह कि पालम विधानसभा के अंतर्गत राजस्व विभाग की कई जमीनों पर लोगों द्वारा अवैध कब्जा है;	
च)	यदि हाँ, तो उन सारी जमीनों का पूर्ण विवरण दें;	
छ)	लोगों द्वारा राजस्व विभाग की जमीनों के कब्जे को हटवाने के लिए राजस्व विभाग प्रशासन क्या कार्रवाई कर रहा है; और	
ज)	यदि अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई तो कब तक कार्रवाई की जायेगी?	

इसकी स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त कर ली गई है।

(अजय अरोड़ा)
 एसडीएम-6 (मुख्यालय)

AJAY ARORA
 SDM-VI (HQ)
 Revenue Department
 Govt. of NCT of Delhi
 5, Sham Nath Marg, Delhi-54